



प्रेषक,

के०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ०प्र०, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 25 जनवरी, 2026

विषय:- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2297ए/2023-91ए/2025, दिनांक 08 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 347.24 लाख (₹0 तीन करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित /संस्तुत लागत (₹0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (₹0 लाख में)	द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि (₹0 लाख में)
1	2	3	4	5	5
1	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण।	कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम)	547.24	200.00	347.24
				योग -	347.24 लाख (₹0 तीन करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध -

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।
- (6) कार्य की विशिष्टता, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ड्राफ्टर में नहीं रखी जायेगी।
- (8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-21-परिक्षेत्रीय/संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड़, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या- 19/2026/2876/तीस-3-2025, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- चन्दौली।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-24, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, 30प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।